कार्यालय सहायक आयुक्त(प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(35)लेखा / निविदा / धर्मशाला लीज / 2022 / A-632 दिनांकः 2/1/23

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के नियन्त्रणाधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री बलदेव जी परशुरामद्वारा आमेर रोड़ जयपुर में स्थित धर्मशाला को 15 वर्ष के लिए लीज पर देने हेतु इस कार्यालय द्वारा नीलामी सूचना क्रमांक A–481 दिनांक 22.11.2022 जारी की गई थी। उक्त नीलामी प्रक्रिया की प्री–बिड़ मीटिंग में उपस्थित सम्भावित बोलीदाताओं द्वारा धर्मशाला नीति / बिड़ प्रपत्र में अंकित कुछ बिन्दुओं / शर्तो को बोली प्रपत्र से हटाने अथवा संशोधन की मांग की गई थी इस पर लीज समिति के सदस्यों के निर्णय के अनुसार धर्मशाला नीति के उन बिन्दुओं के सम्बन्ध में आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर से मार्गदर्शन चाहा गया था। आयुक्त महोदया देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के मार्गदर्शन से सम्बन्धित पत्र क्रमांक एफ. 4(1)सम्पदा / देव / 2016 / जयपुर–I / 1607 दिनांक 21.12.2022 के अनुसार देवस्थान धर्मशाला नीति 2021 राज्य सरकार से अनुमोदित है जिसमें सभी बिन्दु स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। उक्त नीति में संशोधन इस कार्यालय के स्तर से सम्भव नहीं है। अतः वर्तमान धर्मशाला नीति 2021 के अनुसार ही इन बिन्दुओं को यथावत मानते हुए ही बोलीदाता इस धर्मशाला की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है। वर्तमान धर्मशाला नीति 2021 / बिड़ प्रपत्र में इस नीलामी प्रक्रिया में तिथि के अतिरिक्त कोई भी संशोधन नही किया जावेगा। नीलामी की तिथि बढ़ाने के सम्बन्ध में पृथक से Corrigendum A–593 दिनांक 22.12.2022 से जारी कर पोर्टल पर अपलोड़ किया जा चुका है। सभी सम्भावित बोलीदाता इस सम्बन्ध में सूचित रहें।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त(प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(35)लेखा / निविदा / धर्मशाला लीज / 2022 / A-633 दिनांकः–2/1/23

प्रतिलिपि आयुक्त महोदया देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त कार्यालय आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करवाने का श्रम करे।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त(प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

E/Letter

Scanned with CamScanner